न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 77/2023
जीसीएमएस नं. 311/2023
प्रविष्टि दिनांक 24.07.2023

1. राजेन्द्र पुत्र कृष्णगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी विवेकानन्द कॉलोनी, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.।
2. सावित्री पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि रामेश्वर निवासी चन्दा टाकिज के सामने, कृष्णा कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.।
3. गायत्री पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि भरतभूषण जाति ब्राह्मण निवासी शंकर सदन, गीता भवन के सामने, नेहरू नगर ब्यावर जिला अजमेर राज.।

.....आवेदक

बनाम

1. पवन पुत्र दामोदर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
2. रमेश पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक राज.।
3. महेश पुत्र स्व. रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
4. राकेश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक राज०
5. मुकेश पुत्र बोदू पुत्र मनभर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक
6. योगेश पुत्र बुद्धिप्रकाश नाबालिग जरिये संरक्षक पिता एवं माता कमलेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गावडी तहसील देवली जिला टोंक हाल रामदेव जी के मन्दिर के सामने विवेकानन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक राज.
7. तहसीलदार देवली जिला टोंक

.....प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सी पी सी बाबत अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना आदेश अदालत

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री तेजमल जैन एड., अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय दिनांक 27/3/26

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या 207 में अंकित खसरा नम्बरान 12, 125, 235, 236, 237, 238, 239, 245 कुल किता 8 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील उनवानी राजेन्द्र बनाम पवन आदि अपील संख्या 14/2018 प्रस्तुत की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

गई थी, जिसमें दिनांक 24.05.2018 को वर्णित उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति ताफेसला यथावत रखे जाने का आदेश दिया गया था तथा तहसीलदार देवली को निर्देशित किया गया था कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व मजाहमत न करे तथा वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न करे। उक्त आदेश की पालना नहीं कर अप्रार्थीगण द्वारा दिनाक 16.12.2022 को तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थीगण के हक में 20.10.2016 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण 872 का अमल जमाबन्दी में कर दिया गया।

इस प्रकार प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार देवली ने आपस में मिली भगत करके दौराने स्थगन आदेश के उक्त नामान्तरकरण का अमल राजस्व जमाबन्दी में कर देने के उपरान्त न्यायालय के आदेश की अवहेलना बाबत यह आवेदन पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंवं तलबी अप्रार्थीगण जरिए सम्मन की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खाता संख्या 207 में अंकित खसरा नम्बरान 12, 125, 235, 236, 237, 238, 239, 245 कुल किता 8 कुल रकबा 2.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडा गांवडी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 6 का 1/3 हिस्सा था। उक्त भूमियों के संबंध में अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की मातायें सोहनी देवी एवं मनभर द्वारा न्यायालय उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी, देवली के यहां वाद बाबत तकासमा पेश किया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील पेश की गई थीं। उक्त अपील के निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि धारा 53. के अनुतोष के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रश्नगत आराजी के सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनावे और उन्हें विधिवत सुनते हुए धारा 53 पर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें। उक्त निर्णय की रिट प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में रिट संख्या 10879/2016 पेश की।

इसी बीच तहसीलदार देवली ने उक्त वर्णित आराजीयात का नामा. 872 दिनांक 20.10.2016 को स्वीकृत कर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के हक में तस्दीक कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील उनवानी राजेन्द्र आदि बनाम पवन आदि अपील संख्या 14/2018 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनाक 24.05.2018 को वर्णित उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति ताफेसला यथावत रखे जावे। तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के कब्जे

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

काश्त में हस्तक्षेप व मजाहमत न करे तथा वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न करे। उक्त आदेश की पालना नहीं कर दिनाक 16.12.2022 को श्रीमान तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थीगण के हक में 20.10.2016 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण 872 का अमल जमाबन्दी में कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण व तहसीलदार देवली ने आपस में मिली भगत करके दौराने स्थगन आदेश के उक्त नामान्तरकरण का अमल राजस्व जमाबन्दी में करने से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद तथा उक्त आदेश की विपक्षीगण को भली भांति जानकारी होते हुए भी उक्त नामान्तरकरण का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी कर दिया गया।

अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाक 16/8/2018 को अपने अधिवक्ता के साथ वकालतनामा पेश करते हुए प्रकरण में उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। विपक्षीगण को उक्त आदेश की भली भांति जानकारी थी उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना की गई है।

अप्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 को इस आधार पर प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में दर्ज प्रकरण स. 12128/2016 का फेसला हो जाने से प्रकरण निरस्त कर दिया गया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील इस आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रति प्रेषित की गई थी कि धारा 53 के अनुतोष के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व प्रश्नगत आराजी के सभी सहखातेदारान को पक्षकार बनाये और सभी खातेदारों को सुनते हुए नियमानुसार निर्णय पुनः पारित करे । इस आधार पर भी अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा 20.10.2016 को स्वीकृत करके राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेश की अवहेलना की है। जो कि माननीय न्यायालय व उच्च न्यायालयों के आदेश की अवहेलना, अवमानना व अवज्ञा की है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 24.05.2018 की अप्रार्थी तहसीलदार देवली को भली भांति जानकारी थी उसके बावजूद भी उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद जमाबन्दी में करके न्यायालय के आदेश की खुले रूप से अवहेलना की है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की खुले रूप से अवज्ञा, अवहेलना व अवमानना करने के अपराध में विपक्षीगण की समस्त चल अचल सम्पत्ति को कुर्क व नीलाम करवाया जाकर उनको तीन माह के लिए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाये।

अभिभाषक प्रतिपक्षीगण ने आवेदक की बहस का जवाब देते हुए कथन किया कि प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि प्रतिपक्षीगण ने किसी भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है, जो भी कार्यवाही की गई है वह राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों के द्वारा की गई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

विधिक रूप से जिस न्यायालय के आदेश की अवहेलना या अवज्ञा की जाती है, प्रार्थना पत्र अवहेलना भी उसी न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि राजस्व मंडल राज. अजमेर के आदेश की अवहेलना की है। इस तरह यदि कोई अवहेलना की भी गई है तो वह राजस्व मडल अजमेर के आदेश की मानी जायेगी ओर अवहेलना प्रार्थना पत्र भी उसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इस तरह से यह प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया एंव प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली व दस्तावेजात का अध्ययन करने से विदित होता है कि उक्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील उनवानी राजेन्द्र बनाम पवन आदि अपील संख्या 14/2018 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें दिनांक 24.05.2018 को वर्णित उक्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति ताफेसला यथावत रखे जाने का आदेश दिया गया था तथा तहसीलदार देवली को निर्देशित किया गया था कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप व मजाहमत न करे तथा वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण न करे। उक्त आदेश की पालना नहीं कर दिनाक 16.12.2022 को तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थीगण के हक में 20.10.2016 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण 872 का अमल जमाबन्दी में कर दिया गया।

चूंकि प्रकरण से संबंधित एक रिट याचिका संख्या 10879/2016 प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश की हुई है तथा उक्त रिट याचिका में भी माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन से स्पष्ट होता हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

([illegible])
अति.जिला कलेक्टर,टोक